न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 200 / 2024   दायर दिनाँक 26.07.2024

वादीनी		प्रतिवादी
1. सबीना बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन जाति शेरानी निवासी नूरी मौहल्ला, शेरानी आबाद तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना– कुचामन राज0।	बनाम्	1. तहसीलदार छोटीखाटू।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री अल्ताफ हुसैन वादीनी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 25.02.2025

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम शैरानीआबाद पटवार हल्का शेरानी आबाद के खेत खसरा संख्या 1150 / 857 रकबा 0.4900 है. भूमि अवरिथत है । उक्त भूमि में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की भूल व सहवन से वादीनी का नाम सवीना बानू व उसके पति का नाम अली मोहम्मद दर्ज कर दिया जबकि वादीनी का वास्तविक नाम सबीना बानो व उसके पति का नाम मोहम्मद हुसैन है जो सही व सत्य है। वर्तमान खसरा संख्या 1150 / 857 की नकल खतौनी निकलवाने पर ज्ञात हुआ कि राजस्व रेकर्ड में वादीनी व उसके पति का नाम सवीना बानू पत्नी अली मोहम्मद अंकित हो रखा है जबकि वादीनी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, विद्युत विल आदि में वादिनी व उसके पति का नाम सबीना बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन अंकित है। नाम के गलत अंकन से वादीनी को सरकार द्वारा मिलने वाली योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है व बैंक आदि से के.सी.सी. लोन लेने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

वादीनी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम शैरानीआबाद पटवार हल्का शेरानी आबाद के खेत खसरा संख्या 1150 / 857 रकबा 0.4900 है. भूमि में वादीनी का नाम सवीना बानू के स्थान पर सबीना बानो व वादीनी के पति का नाम अली मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद हुसैन खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर सवीनाबानू पत्नी अलीमोहम्मद के स्थान पर सबीना बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटी खाटू के पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2024 / 1188 दिनांक 09.12.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादीनी [illegible] अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन [illegible] अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड [illegible] किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया सरहद शेरानी आबाद के खेत खसरा संख्या 1150 / 857 रकबा 0.4900 है. भूमि में वादीनी अपना नाम सवीना बानू

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

के स्थान पर सबीना बानो व वादीनी के पति का नाम अली मोहम्मद के स्थान पर मोहम्मद हुसैन दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रही है। तहसीलदार डीडवाना की रिपोर्ट के अनुसर सरहद शेरानी आबाद के खसरा संख्या 1150/857 रकबा 0.49 है. किस्म बारानी उत्तम जमाबंदी संवत 2070–73 में नामा. सं. 830 द्वारा विक्रय पत्र पुराना खसरा संख्या 338 में सबीना बानू पत्नी अली मोहम्मद अंकित हुआ है। उक्त नामान्तरकरण में नाम सबीना बानू पत्नी अली मोहम्मद दर्ज हुआ है जबकि वादीनी गलत अंकन होने का कथन कर रही है। वादी के कथन व साक्ष्यों में भिन्नता है इस कारण वादीनी किसी प्रकार की इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तहसीलदार छोटी खाटू की रिर्पोट के अनुसार रेकर्ड का अंकन विक्रय पत्र के आधार पर हुआ है। वादीनी के पास विक्रय पत्र को संसोधन करवाने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादीनी के गलत अंकन होने के कथन को स्वीकार नही किया जा सकता है। अतः बाद विवेचन, वादीनी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

सरहद शेरानी आबाद के खेत खसरा संख्या 1150/857 में वादीनी सवीनाबानू पत्नी अलीमोहम्मद के स्थान पर सबीना बानो पत्नी मोहम्मद हुसैन दुरूस्ती बाबत वादीनी का हस्तगत वाद खारिज किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **25.02.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 13:25:37 IST
Reason: SelfAttested